

प्ररूप सं. 27डथ

<sup>1</sup>[धारा 206ग, 206गग, 206गखक एवं नियम 31कक देखें]

..... (जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च) ..... (वित्तीय वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही को आयकर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की तिमाही विवरण

1. (क) कर कटौती और संग्रहण खाता सं. (टैन) .....

(ख) 1d [स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] [टिप्पण 1 देखिए] .....

(ग) वित्तीय वर्ष .....

(घ) क्या इस तिमाही से पहली कोई विवरणी फाइल की गई है (हां...../नहीं.....) .....

(ङ) यदि (घ) का उत्तर “हां” है तो मूल विवरणी का टोकन सं. ....

(च) संग्रहकर्ता का प्रकार (टिप्पण 2 देखिए) .....

2. संग्रहकर्ता की विशिष्टियां :

(क) संग्रहकर्ता का नाम	
(ख) यदि केंद्रीय/राज्य सरकार	
नाम (टिप्पण 3 देखिए)	
पीएओ/टीओ/सीडीडीओ का एआईएन कोड	
(ग) टैन रजिस्ट्रीकरण सं.	
(घ) पता	
फ्लैट नं.	
परिसर/भवन का नाम	
रोड/मार्ग/लेन	
क्षेत्र/अवस्थान	

1. आय-कर (सत्राहवों संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 8.6.2021 से “धारा 206ग और नियम 31कक देखिए” अंको के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1क. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

टाउन/नगर/जिला	
राज्य	
पिन कोड	
टेलीफोन नं.	
अनुकल्पी टेलीफोन नं. (टिप्पण 4 देखिए)	
ई-मेल	
अनुकल्पी ई-मेल (टिप्पण 4 देखिए)	

3. कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की विशिष्टियां :

(क) नाम	
(ख) पता	
फ्लैट नं.	
परिसर/भवन का नाम	
रोड/मार्ग/लेन	
क्षेत्र/अवस्थान	
टाउन/नगर/जिला	
राज्य	
पिन कोड	
टेलीफोन नं.	
अनुकल्पी टेलीफोन नं. (टिप्पण 4 देखिए)	
ई-मेल	
अनुकल्पी ई-मेल (टिप्पण 4 देखिए)	
मोबाइल नं.	

4. स्रोत पर संगृहीत कर और केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त राशि के ब्यौरे :

क्रम सं.	कर	अधिभार	1 ख [स्थायी और शिक्षा उपकर]	व्याज	फीस (टिप्पण 5 देखिए)	शास्ति/ अन्य	चालान/बही समायोजन के अनुसार कुल जमा रकम (652+ 653+ 654+ 655+ 656+ 657) (टिप्पण 6 देखिए)	चालान (ग)/ बही समायोजन (ख) द्वारा जमा करने की पद्धति (टिप्पण 7 देखिए)	बीएसआर कोड/प्ररूप सं. 24ख की प्राप्ति सं. (टिप्पण 8 देखिए)	चालान क्र.सं./ प्ररूप सं. 24ख का डीडीओ क्र.सं. (टिप्पण 8 देखिए)	चालान द्वारा जमा की गई रकम की तारीख /वाउचर अंतरण की तारीख (दिदि/मम/वववव) (टिप्पण 8 देखिए)	चालान का लघु शीर्ष (टिप्पण 9 देखिए)
[651]	[652]	[653]	[654]	[655]	[656]	[657]	[658]	[659]	[660]	[661]	[662]	[663]
1												
2												
3												

5. संदत्त रकम और उस पर कर के संग्रहण के ब्यौरे (उपाबंध देखिए)

**सत्यापन**

मैं, \_\_\_\_\_, सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियाँ सही और पूर्ण हैं।

स्थान : \_\_\_\_\_ स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

तारीख : \_\_\_\_\_ स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम \_\_\_\_\_

**टिप्पण :**

- गैर सरकारी संग्रहकर्ता के लिए 2 [स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] का उल्लिखित किया जाना आवश्यक है। सरकारी संग्रहकर्ता की दशा में "2 [स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] आवश्यक नहीं" उल्लिखित होगा।
- कृपया सरकारी संग्रहकर्ता या गैर संग्रहकर्ता उपदर्शित करें।
- केंद्रीय सरकार की दशा में, कृपया मंत्रालय/विभाग का नाम उल्लिखित करें/राज्य सरकार की दशा में, कृपया राज्य का नाम उल्लिखित करें।
- अनुकल्पी टेलीफोन नं. और अनुकल्पी ई-मेल में, कृपया ऐसे व्यक्ति का टेलीफोन नं. और ई-मेल दिया जाए, जिससे संग्रहकर्ता और कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की अनुपस्थिति में संपर्क किया जा सके।
- धारा 234ड के अधीन विलंब से स्रोत पर कर संग्रहण का विवरण फाइल करते समय संदत्त फीस को, 'फीस' के पृथक् स्तंभ में उल्लिखित किया जाए (स्तंभ 656)।
- स्तंभ 658 में, सरकारी डीडीओ, पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा विप्रेषित रकम को उल्लिखित करेंगे। अन्य संग्रहकर्ता चालान द्वारा जमा की गई सही रकम को लिखेंगे।
- स्तंभ 659 में, सरकारी संग्रहकर्ता "ख" लिखेंगे जहां स्रोत पर कर संग्रहण, बही समायोजन द्वारा केंद्रीय सरकार के जमा में विप्रेषित की जाती है। अन्य संग्रहकर्ता "ग" लिखेंगे।
- चालान/अंतरण वाउचर (सीआईएन/बीआईएन) विशिष्टियाँ, अर्थात् 660, 661, 662 वही होंगे जो कर सूचना नेटवर्क पर उपलब्ध हैं।
- स्तंभ 663 में, चालान पर यथा चिन्हित लघु शीर्ष उल्लिखित करें।

1 ख. आय-कर (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2023 द्वारा 1.7.2023 से "शिक्षा उपकर" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. आय-कर (बारहवाँ संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलकी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

उपाबंध: स्रोत पर कर कटौती के दल वार आंकड़ें

( कृपया मुख्य प्ररूप 27इथ के क्रम सं. 4 में प्रत्येक पंक्ति/मद के लिए पृथक उपाबंध का उपयोग करें)  
समाप्त तिमाही (तारीख /माह/वर्ष) के दौरान संदत्त/प्रत्यय राशि और स्रोत पर कर कटौती का विवरण

शाखा का बीएसआर कोड /प्ररूप सं. 24 छ की रसीद संख्या	
जिस तारीख को चालान जमा/ हस्तांतरित किया गया वाउचर तारीख (दि/म/व)	
फॉर्म सं. 24छ का चालान क्रम सं. /डीडीओ क्रम सं.	
चालान के अनुसार राशि	
स्तंभ 677 के उधर्वाधर योग के रूप में संग्रहकर्ताओं के बीच आबंटित किया जाने वाला कुल टीसीएस	
उल्लिखित से ग्रहकर्ताओं के बीच आबंटित किया जाने वाला कुल ब्याज	

संग्रहकर्ता का नाम	
टैन	

2क. आय-कर (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2023 द्वारा %+"&\$&' से प्रतिस्थापित।

क्रं स	संग्रहकर्ता का संदर्भ सं. संग्रहकर्ता द्वारा दिया गया यदि उपलब्ध हो	संग्रहकर्ता का कोड (टिप्पणी 10 देखें)	क्या निवासी है या अनिवासी (हां/सहीं)	संग्रहकर्ता का पैन	क्या संग्रहकर्ता ने धारा 115बकग( 1क) के अधीन कराधान का विकल्प चुना है)?	संग्रहकर्ता का नाम	संव्यवहार की कुल रकम	प्राप्त / जमा रकम	तारीख जब रकम प्राप्त हुई/ विकलित हुई (दि/म/)	संग्रह कोड (टिप्पणी 11 देखें)	कर	अधिभार	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	कुल संग्रहित कर [673+674+675]
[664]	[665]	[666क]	[666ब]	[667क]	[667ब]	[668]	[669]	[670]	[671]	[672]	[673]	[67]	[675]	[676]
1														
2														
3														
कुल														

कुल जमा कर	संग्रहण की तारीख (दि/ मा/व)	जिस दर पर संग्रहण किया गया	गैर-संग्रहण/ निम्नतर संग्रहण या उच्चतर दर पर संग्रहण का कारण (टिप्पणी 1 से 9 देखें)	निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 206 के अधीन कर के न्यूनतम संग्रहण के लिए जारी प्रमाण पत्र की संख्या	क्या संग्रहकर्ता द्वारा संदाय उपधारा (1छ) के पांचवे परंतुक के खंड (i) या उपधारा (1ज) के दूसरे परंतुक के अनुसार टीडीएस के लिए दायी है और क्या ऐसे संदाय के लिए टीडीएस भी कटौती कर ली गई है ?/यदि 680 में या तो “ब”या “छ”का चयन किया गया है)	यदि 681क का उत्तर हां है तो	
						चालान संख्या	केंद्रीय सरकार को टीडीएस संदाय की तारीख
[677]	[678]	[679]	[680]	[681]	[681क]	[681ब]	[681ग]

सत्यापन

मैं..... एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्तुत विवरण सही व पूर्ण है।  
स्थान..... स्त्रोत कर संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर  
तारीख..... स्त्रोत पर कर संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व पद

## टिप्पण :-

1. यदि धारा 206ग की उपधारा(9) के अधीन प्रमाण पत्र के कारण कम संग्रहण हो तो "क" लिखें
2. यदि धारा 206ग की उपधारा(1क) के अधीन घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के कारण संग्रहण हो तो 'ख' लिखें
3. यदि संग्रहणकर्ता द्वारा पैन/आधार प्रस्तुत न करने के कारण धारा 206गग के अधीन संग्रहण अधिक हो तो 'ग' लिखें।
4. यदि धारा 206ग की उपधारा (1छ) के प्रथम परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'घ' लिखें
5. यदि धारा 206ग की उपधारा (1छ) के चौथे परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'ड' लिखें।
6. यदि उपधारा(1छ) के पांचवें परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) अथवा खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना के कारण संग्रहण न हो तो 'च' लिखें।
7. यदि धारा 206 ग की उपधारा (1ज) के दूसरे परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'छ' लिखें।
8. यदि धारा 206ग की उपधारा (1ज) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या उपखंड (क) या (ख) या (ग) के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'त' लिखें।
9. यदि धारा 206गक को ध्यान में रखते हुए संग्रहण उच्च दर पर हो तो 'झ' लिखें।
10. संग्रहकर्ता कोड की सूची

क्रम सं.	पक्षकार कोड	विवरण
1	01	कंपनी,
2	02	व्यष्टि
3	03	हिंदू अविभक्त कुटुंब
4	04	व्यक्तियों का संगम(एओपी) , ऐसे एओपी के अलावा कंपनी इसकी सदस्य हो
5	05	व्यक्तियों का संगम(एओपी) जिसमें केवल कंपनी ही इसकी सदस्य हो
6	06	सहकारी समिति
7	07	फर्म
8	08	व्यष्टियों का निकाय
9	09	आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में संदर्भित कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
10	10	अन्य

11. निम्नवर्णनानुसार संग्रहण कोड लिखें:

धारा	संग्रहण की प्रकृति	संग्रहण कोड	
206ग	मानवीय उपभागों के लिए मध्यसारिक पान से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	क
206ग	वन पट्टे के अधीन अभिप्राप्त काष्ठ से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ख
206ग	वन पट्टे के अलावा अन्य तरीके से अभिप्राप्त काष्ठ से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ग
206ग	किसी अन्य वनोपज (तेंदू पत्ता नहीं) से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	घ
206ग	स्क्रैप से स्त्रोत पर संग्रहण	6ग	ङ
206ग	पार्किंग स्थल से संबंधित ठेकेदारों या लाइसेंसधारी या पट्टे से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	च
206ग	टोल प्लाजा से संबंधित ठेकेदारों या लाइसेंसधारी या पट्टे से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	छ
206ग	खान या खदान से संबंधित से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ज
206ग	तेंदू पत्ते से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	झ
206ग	कोयला या लिग्नाइट या लोह अयस्क जैसे खनिजों के विक्रय पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ञ
206ग	बूलियन और आभूषणों के नकद विक्रय पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ट
206ग	मोटर गाड़ी के विक्रय पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ठ
206ग	ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के क्रय पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ण
206ग	धारा 80 ड में उल्लिखित वित्तीय संस्था से लिए गए शैक्षिक ऋण से एलआरएस के अधीन प्रेषण पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	त
206ग	शिक्षा या चिकित्सा उपचार के उद्देश्यों को छोड़कर एल आर एस के अधीन प्रेषण पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	थ
206ग	शिक्षा या चिकित्सा उपचार के उद्देश्यों के लिए और कोड पी के अधीन समावेश नहीं किए गए एलआरएस के अधीन प्रेषण पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	न
206ग	माल के विक्रय पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	द